तामील के प्रयोजन के लिए पता

आदेश नियम 19-26, आदेश 8 नियम 11 और 12, आदेश 4 नियम 38, आदेश 46 नियम 8, आदेश 47 नियम 10 और आदेश 52 नियम 1 के अधीन)

न्यायालय स्थान

मूलवाद सन 20 ई०

----------संख्या बनाम

मामला

यह पता उस जिला न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र भीतर का होगा जहाँ वाद संस्थित किया जाय या उस जिला न्यायालय अधिकार-क्षेत्र के भीतर का हो जहाँ पक्षकार साधारण निवास करता हो, किन्तु शर्त यह है कि वह जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर स्थित हो, और किसी अन्य प्रदेश की सीमा के भीतर स्थित न हो।

नाम/पिता का नाम और जाति	निवास स्थान	परगना या तहसील	डाकघर	जिला
				न्यायालय का नाम वाद संख्या पक्षकारों के नाम

..... के के दिवस को दिनांकित

भविष्य के कुल सम्मन , सूचनाएं या आदेश इसे बाद में मेरे उपर्वार्णत नाम और पते के अनुसार निकाले जाएँ | जब तक कि मैं कोई परिवर्तन की सूचना दाखिल न करूं। यदि पते में पुनः कोई परिवर्तन होगा तो में ऐसे परिवर्तन की सूचना तत्काल करूँगा। जिसमें कुछ नई विशिष्टियां वर्णित होगी।

पक्षकार के हस्ताक्षर

वादी
प्रतिवादी
अपीलार्थी
प्रत्युर्दाता

अपने मुवक्किल (नाम).....(और हैसियत).....के अनुसार मैं उपरिवर्णित पता दाखिल करता हूँ |

तीपन - जब यह प्रारूप न्यायालय में प्राप्त हो तो यह आवश्यक है कि उस पर प्राप्त होने के दिनाक की मुद्रण लगाई और वह संस्थित किये गए वाद या मामले के अभिलेख में सम्मिलित किया जाय।